(118)

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : श्री एम. के. सिंह,

सदस्य

प्रकरण कमांक–निगरानी 2958–दो/2015, बिरूद्व आदेश दिनांक 20/07/2015, द्वारा पारित अपर कलेक्टर टीकमगढ़ जिला, प्रकरण कमांक–15/स्व0निग0/2014–15

महिला गमला बाई पुत्री बलुआ बंशकार पत्नि सुन्नू बंशकार,

निबासी वल्देवगढ़ , तहसील वल्देवगढ़ , जिला टीकमगढ़, म0प्र0

.....आवेदक

बिरूद्व

1– गजेन्द्र सिंह पुत्र मुकुन्द सिंह परमार,

निबासी– मामौन दरवाजा टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

2– म0 प्र0 शासन ..... अनावेदकगण

श्री विनोद श्रीवास्तव, अधिवक्ता आवेदकगण,

श्री अशोक भार्गव , अधिवक्ता अनावेदक–1

श्री डी0 के0 शुक्ला, अधिवक्ता अनावेदक–2

:: आदेश ::

(पारित दिनांक– 9 /12 /2016)

1– आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केबल संहिता कहा जाबेगा) की धारा 50 के तहत अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़, द्वारा प्रकरण कमांक–15/स्व0निग0/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2015 के बिरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बतलाया गया कि, आवेदिका का खसरा कमांक 562/2 रकवा1.618 हैक्टेयर पर 02 अक्टूवर 1984 के पूर्व से दो फसली कब्जा था। जिसका उसको विधिवत पटटा 1995 में प्रदान किया गया था, तभी से उपरोक्त भूमि पर खसरा पांचसाला में भी आवेदिका का नाम दर्ज चला आ रहा है। जिसके संबंध में अनावेदक कमांक एक द्वारा एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 51 के तहत अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण करीब 20 साल उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर विधि विरूद्व तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर स्वीकार करके आवेदिका का नाम वादभूमि पर से निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया। जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। आवेदिका का नाम बर्ष 1995 से लगातार वादभूमि पर दर्ज चला आ रहा है, तथा कब्जा भी है। जिसे वाद में खसरा नंबर 563/9 कर दिया गया। आवेदिका को उपरोक्त पटटा शादी के पूर्व प्रदान किया गया था। उसकी शादी तो बर्ष 1996 में हुई थी। अपर कलेक्टर को इतनी लंबी अवधि के उपरांत प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर नामांतरण निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। अनावेदक कमांक एक के बिद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में बतलाया कि, आवेदिका का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के दर्ज हुआ है। उसका वाद भूमि पर कब्जा भी नहीं है। तहसील कार्यालय में पति के लिपिक होने का नाजायज लाभ लेकर अपना नाम दर्ज करवाया गया है, जो कि निरस्त करने योग्य है। अनावेदक कमांक दो के अधिवक्ता द्वारा भी अपने तर्कों में अधिनस्थ न्यायालय का आदेश सही होने से स्थिर रखे जाने की मांग की गई।

3– उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार खसरा पांच साला बर्ष 1993–94 से 1997–98 के कॉलम नंबर 14 बर्ष 1994–95 में आवेदिका का नाम

वादभूमि पर वर्ष 1995–96 की नामांतरण पंजी कमांक 15 आदेश दिनांक 30/2/1995 के आधार पर दर्ज किया है, जो कि लगातार 2015 तक दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र अनावेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावजों के आधार पर ही आदेश पारित किया है। आवेदक को साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है। सिलि पर कसका वास्वविक कब्जा है, इस तथ्य के संबंध में समाधान नहीं किया है।

4– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरण के करीब 20 साल उपरांत प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है। इतनी लंबी अवधि के उपरांत प्रकरण स्वमेव निगरानी में नहीं लिया जा सकता है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत –1994 राजस्व निर्णय 392 मान0 उच्च न्यायालय 2010 राजस्व निर्णय 273 मान0 उच्च न्यायालय 2011 राजस्व निर्णय 426 एवं 2010 राजस्व निर्णय मान0 उच्च न्यायालय 409 पूर्ण पीठ में व्यवस्था प्रदान की गई हे कि पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण ाक्ति का प्रयोग आदेश की अवैधता अनौचित्य तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिये। अधिकतम 180 दिवस के भीतर प्रयोग की जाना चाहिये । प्रश्नााधीन आदेश उपरोक्त न्याय दृष्टांतों को नजर अंदाज करके पारितकिया गया है। जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 20/7/2015 निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि आवेदिका का नाम पूर्ववत वादभूमि पर दर्ज किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर